42/2013 अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

613

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : करतारसिंह पूनियॉ, आर0ए0एस0

निगरानी पंचायत प्रकरण सं0 42/13

गुरविन्द्रसिंह पुत्र श्री पालसिंह जाति जटसिख निवासी गॉव 23 बी बी तह0 पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।

निगरानीकर्ता

बनाम

1. ग्राम पंचायत 23 बी बी जरिये सरपंच
2. सर्वतोदेवी पत्नी श्री सही राम जाति धानक निवासी गॉव 23 बी बी तह. पदमपुर।
3. गुरजीत कौर पत्नी श्री सरजीत सिंह जाति जटसिख निवासी 23 बीबी तह0 पदमपुर।
4. जगीरसिंह पुत्र लाभसिंह जाति जटसिख निवासी 23 बी बी तह0 पदमपुर।

बिन्द्रसिंह पुत्र श्री जागीरसिंह जाति जटसिख निवासी गॉव 23 बी बी तह0 पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।

गैर निगरानीकर्त्ता

निगरानी विरूद्व आदेश ग्राम पंचायत 23 बी बी प्लाट सं0 39–40–41 व 42 दिनांक 7–6–96 विधि विरूद्व आवंटन के संबंध में।

उपस्थित : 1. श्री तेजासिंह संधू, अधिवक्ता, निगरानीकर्ता।
2 श्री राजकुमार नागपाल, अधिवक्ता, गैरनिगरानीकर्ता सं0 2–4–5
3. गैरनिगरानीकर्ता सं0 3 के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही

आदेश

दिनांक : 12–11–2016

पत्रावली लोक अदालत के समक्ष पेश हुई। प्रस्तुत निगरानी राजस्थान पंचायत राज अधिनियम, 1994 की धारा 97 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है, जिसके सुसंगत संक्षिप्त एवं सारगर्भित तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम 23 बी बी की आबादी मु0 नं0. 34 व 41 में स्थित है, उसमें गॉव के बीच में चौक की जगह आरक्षित की गई है, जो गॉव की आबादी के बीच में पड़ती है, जिसमें ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थीगण से मिलकर प्लाट सं0 39–40–41 व 42 काट दिये हैं। वादग्रस्त भूमि चौक की है। चौक की भूमि आवंटन करने का अधिकार ग्राम पंचायत को नहीं है। चौक की भूमि निगरानीकर्ता के प्लाट से चिपती हुई है। निगरानीकर्ता को आवागमन के लिए चौक की भूमि उपलब्ध थी जो अब नहीं रही है। निगरानीकर्ता का रास्ता बंद हो गया है। चौक की भूमि में गॉव के लोग चौपाल लगाते हैं। विवादित प्लाट एकपक्षीय अलॉट

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

जिसकी निगरानीकर्ता को पूर्व में जानकारी नहीं थी। इस प्रकार निवेदन किया है कि निगरानी स्वीकार की जाकर निगरानीकृत भूखण्ड निरस्त फरमाया जावे।

निगरानीकृत भूखण्ड से संबंधित रेकार्ड ग्राम पंचायत से तलब किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

निगरानीकर्ता के अधिवक्ता ने निगरानी में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कहा है कि वादग्रस्त भूमि सार्वजनिक चौक की है। चौक की भूमि को आवंटन करने का अधिकार ग्राम पंचायत को नहीं है। ग्राम पंचायत द्वारा क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर निगरानीकृत भूखण्ड का आवंटन किया है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर आवंटन निरस्त फरमाया जावे।

गैरनिगरानीकर्ता के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया है निगरानीकर्ता द्वारा किस आदेश के विरूद्व निगरानी पेश की गई है, की प्रमाणित प्रति पेश नहीं की है। निगरानीकृत आदेश किस तारीख का है, निगरानी में स्पष्ट अंकित नहीं किया है। निगरानी अत्यधिक देरी से पेश की गई है इसलिए निगरानी मियाद बाहर होने से निगरानी खारिज होने योग्य है। निगरानी के शीर्षक में निगरानीकृत आदेश की दिनांक 7–6–96 लिखी गई है जबकि आबादी भूमि की पट्टा बही की प्रति जो पेश की गई है, उसमें दिनांक 20–8–90 की तारीख अंकित है। सार्वजनिक चौक की भूमि साबित नहीं है। ग्राम पंचायत द्वारा किया गया आवंटन विधिसम्मत् है। अतः निगरानी खारिज की जावे। अपने तर्को के समर्थन में गैरनिगरानीकर्ता के अधिवक्ता ने 2015(3) डी0एन0जे0 (राज0) 1074, 2009 डी0एन0जे0 (एस0सी0) 1094 एवं 2015 (4) डी0एन0जे0 (राज0) पेज 1853 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये हैं।

निगरानीकर्ता के अधिवक्ता ने जवाब में कहा कि राजस्थान पंचायत राज अधिनियम में निगरानी प्रस्तुत करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की हुई है इसलिए निगरानी में मियाद अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली, ग्राम पंचायत के रेकार्ड एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का गहनता से अवलोकन किया गया।

निगरानीकर्ता द्वारा ग्राम पंचायत के प्रस्ताव दिनांक 7–6–96 का हवाला निगरानी के शीर्षक में दिया गया है। ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर दिनांक 7–6–96 का अवलोकन किया गया। अवलोकन से पाया गया कि दिनांक 7–6–96 को निम्न प्रस्ताव पारित किया गया है :–

" प्रस्ताव सं0 – इसमें ग्राम पंचायतों के विकास कार्यो के बार में विचार विमर्श किया गया। श्रीमती पंच कुलदीपकौर ने प्रस्ताव रखा कि पंचायत भवन चार दिवारी का कार्य शुरू करवाया जावे "।

उपरोक्त के अलावा दिनांक 7–6–96 में अन्य कोई कार्यवाही विवरण अंकित नहीं है। दिनांक 7–6–96 के बाद दिनांक 22–6–96 की कार्यवाही लिखी गई है।

रोकड़ बही का अवलोकन किया गया। रोकड़ बही में 2–4–96 के बाद दिनांक 22–6–96 की रोकड़ बही में प्रविष्टियॉ अंकित हैं।

आवंटन पत्रावलियॉ जो ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध कराई गई, के अवलोकन से स्थिति निम्नानुसार है :–

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

42/2013 अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राजस्थान)

A5/3

(1) भूखण्ड सं0 39 जो गैरनिगरानीकर्ता सं0 2 श्रीमती सर्बतोदेवी पत्नी श्री सही राम को दिनांक 20–8–99 को निलामी में उच्चतम बोली 250–00 रूपये में अलॉट किया गया है। मौके की जॉच रिपोर्ट में अहाता सं0 39 किसी गली या सड़क में नहीं है। अहाता किसी सार्वजनिक स्थान के हित में नहीं पड़ता है। अहाता का साईज 50 गुणा 75 फुट है।

(2) भूखण्ड सं0 40 जो गैरनिगरानीकर्ता सं0 4 जागीरसिंह पुत्र श्री लाभ सिंह को दिनांक 20–8–99 को निलामी में उच्चतम बोली 550–00 रूपये में अलॉट किया गया है। अहाता का साईज 75 गुणा 100 फुट है। आवंटन पत्रावली में मौके की जॉच रिपोर्ट संलग्न नहीं है।

(3) भूखण्ड सं0 42 जो गैरनिगरानीकर्ता सं0 3 श्रीमती गुरजीतकौर पत्नी श्री सरजीतसिंह को दिनांक 20–8–99 को निलामी में उच्चतम बोली 500–00 रूपये में अलॉट किया गया है। मौके की जॉच रिपोर्ट में अहाता सं0 42 किसी गली या सड़क में नहीं है। अहाता किसी सार्वजनिक स्थान के हित में नहीं पड़ता है। अहाता का साईज 75 गुणा 100 फुट है। पट्टा बही में भूखण्ड सं0 42 गैरनिगरानीकर्ता सं0 3 श्रीमती गुरजीतकौर को दिनांक 20–5–94 को निःशुल्क आवंटन होना दर्ज है।

भूखण्ड सं0 39–40 व 42 की निलामी ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 5–2–99 व 6–2–99 को करवाई गई है।

(4) भूखण्ड सं0 41 की आवंटन पत्रावली ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध नहीं करवाई गई है लेकिन पट्टा बही जो ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध कराई गई है, उसमें आबादी भूमि 23 बी बी मु0 नं0 42 अहाता नं0 41 साईज 100 गुणा 75 फुट सतसंग घर के नाम से निःशुल्क आवंटित किया गया है।

पट्टा बही के अनुसार गैरनिगरानीकर्ता सं0 2 सर्बतोदेवी को 250–00 रूप्ये में, गैरनिगरानीकर्ता सं0 3 गुरजीतकौर को पॉच सौ रू0 में आवंटन दिखाया गया है लेकिन बाद में उक्त दोनों पट्टों को निरस्त किया गया है।

ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध कराये गये आबादी भूमि की पट्टा बही (विक्रय विलेखों का रजिस्टर) का अवलोकन किया गया, उसके अनुसार भूखण्ड सं0 39 का आधा हिस्सा दक्षिण सर्वती पत्नी सही राम को 250/– रू0 में आवंटित किया गया है। राशि रसीद सं0 30 से दिनांक 21–8–99को जमा की गई है। भूखण्ड सं0 40 गैरनिगरानीकर्ता सं0 4 जगीरसिंह को 550–00 रू0 में आवंटित किया गया है। राशि जरिये रसीद सं0 14 दिनांक 20–8–99 को जमा की गई है। अहाता सं0 41 निःशुल्क सतसंग घर के लिए अलॉट किया गया है। अहाता सं0 41 को पुनः नये पेज पर निःशुल्क आवंटन दिनांक 7–6–96 को श्री बिन्द्रसिंह गैरनिगरानीकर्ता सं0 5 के नाम स्वीकार करने की प्रविष्टि की गई है। अहाता सं0 42 गैरनिगरानीकर्ता सं0 3 गुरजीतकौर के नाम से 500/– रू0 में आवंटन किया गया है। राशि रसीद सं0 4 से जमा होने का अंकन किया है। ग्राम पंचायत द्वारा उक्त अवधि की रसीद बुक एवं रोकड़ बही उपलब्ध नहीं करवाई गई है इसलिए राशि जमा होने की पुष्टि नहीं हुई है।

मियाद के बिन्दू पर प्रकरण को देखें तो गैरनिगरानीकर्ता को आवंटन दिनांक 20–8–99 का है। निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी दिनांक 5–9–13 को 14 वर्ष के भारी विलम्ब से पेश की गई है। मा0 राजस्थान उच्च

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

42/2013 - अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

AF 4

न्यायालय द्वारा 2015 (4) डी0एन0जे0 (राज0) पेज 1853 में अभिनिर्धारित किया है कि :–

"राजस्थान पंचायत राज अधिनियम, 1994–धारा 97–24 वर्ष बाद आंवटित भूमि का पट्टा निरस्त करने हेतु निगरानी पेश की – अधिनियम में परिसीमा का प्रावधान नहीं– असामान्य विलम्ब के बाद निगरानी ग्रहण नहीं की जा सकती। – युक्तियुक्त समय में पक्षकार को निगरानी पेश करनी चाहिए और सिविल कार्यवाही पेश करने हेतु अवधि दिशा निर्देश कारक होनी चाहिए– निर्णीत, निगरानी क्षेत्राधिकारिता का उपयोग करने में अतिरिक्त कलेक्टर ने कोई त्रुटि नहीं की है – आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया।"

मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा 2009 डी0एन0जे0 (एससी) पेज 1094 में अभिनिर्धारित किया है कि :–

"Maharashtra Land Revenu Code, 1996 - Sec. 257 - Revision - Exercise of revisional powers after 17 years - No limitation prescribed - Exercise of powers after laps of 17 years is an abuse of process - Reasonable period within which power of revision may be exercise would be three years - Held, Order are quashed and set aside."

अतः उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्तों के परिप्रेक्ष्य में निगरानीकर्ता द्वारा 14 वर्ष के भारी अंतराल के बाद निगरानी पेश की गई है। इतने भारी विलम्ब को स्पष्ट नहीं किया गया है, जो अपने आप में अस्पष्ट है। इतने भारी विलम्ब के बाद निगरानीकृत आदेश को निरस्त किया जाना विधिसम्मत् प्रतीत नहीं होता है। अतः निगरानीकर्ता की निगरानी मियाद बाहर होने से खारिज किये जाने योग्य है।

फलस्वरूप, निगरानीकर्ता की निगरानी मियाद बाहर होने से खारिज की जाती है। आदेश की प्रति के साथ रेकार्ड अधीनस्थ न्यायालय को भेजा जावे।

आदेश आज दिनांक 12–11–16 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

14/11/16

(करतारसिंह पूनियाँ)
अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)